न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 85/2022 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर—2022/93

उनवान

1. श्री छत्रसिंह पुत्र किशनसिंह जी राजपुत उम्र बालिग,
2. श्री प्रतापसिंह पुत्र किशनसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग,
3. श्री हरिसिंह पुत्र किशनसिंह जी राजपुत, उम्र बालिग,

निवासीयान झिंझणीखुर्द, पटवार हल्का झिंझणी खुर्द, तह. सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री खुमाण सिह पिता भोपालसिंह जी उम्र बालिग, जाति राजपुत, निवासी झिंझणीखुर्द, हाल तहसील झल्लारा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री चंद्रवीर सिह पिता भोपालसिंह जी उम्र बालिग, जाति राजपुत, निवासी झिंझणी खुर्द, हाल तहसील झल्लारा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्रीमती टमुकुंवर पिता भोपालसिंह जी पति शंकरसिंह उम्र बालिग, जाति राजपुत, निवासी झिंझणी खुर्द, हाल तहसील झल्लारा, हाल जिला सलूम्बर हाल निवासी कोटडा (छोटा) तह. गढी जिला बांसवाडा (राज.)
4. श्रीमती देव कुंवर पिता भोपालसिंह जी पति गजराजसिंह उम्र बालिग, जाति राजपुत, निवासी झिंझणी खुर्द, तह. झल्लारा, जिला सलूम्बर हाल उमाडा, तह. गढी जिला बांसवाडा (राज.)
5. श्री नारायण सिह पिता भोपालसिंह जी उम्र बालिग, जाति राजपुत, निवासी झिंझणी खुर्द, हाल तहसील झल्लारा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)
6. श्री प्रदीप सिह पिता भोपालसिंह जी उम्र बालिग, जाति राजपुत, निवासी झिंझणी खुर्द, हाल तहसील झल्लारा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)
7. श्री विजय सिह पिता भोपालसिंह जी उम्र बालिग, जाति राजपुत, निवासी झिंझणी खुर्द, हाल तहसील झल्लारा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)
8. श्री शम्भु सिह पिता भोपालसिंह जी उम्र बालिग, जाति राजपुत, निवासी झिंझणी खुर्द, हाल तहसील झल्लारा, हाल जिला सलूम्बर (राज.)
9. श्रीमान् राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)

— **विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थीगण,

श्री ग्रिजेश ताजावत विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 तक,

पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा उपस्थित

—::निर्णय::—

दिनांकः—24—03—2025

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि मौजा झिंझणीखुर्द पटवार हल्का झिंझणीखुर्द हाल तहसील झल्लारा मे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित होकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित सजरे के अनुसार प्रार्थीगण और विपक्षीगण के पिता का आपस में बंटवाडा हो चुका था व उक्त बंटवाडे के अनुसार प्रार्थीगण के पुराना खाता संख्या 12 व नया

सहायक कलेक्टर सलूम्बर

खाता संख्या 12 है। इसी प्रकार विपक्षीगण के पुराना खाता संख्या 36 व नया खाता सं. 37 होकर ग्राम झिंझणी खुर्द में स्थित है। बंटवाडा होने के कारण उक्त दोनों भूमि सटी हुई है व मौके पर विधिक बंटवाडे के अनुरूप ही प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण मौके पर कब्जे काश्त होकर वर्षों से कृषि कार्य करते चले आ रहे है।

मौझा झिंझणीखुर्द, पटवार मण्डल झिंझणीखुर्द, तह. सलुम्बर में प्रार्थीगण के साबिक खाता सं. 12 में साबिक आराजी नं. 271/1 रकबा 38 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि थी जिसके हाल आराजी नं. 637 होकर रकबा 8.05 हेक्टर था उक्त भूमि में से प्रार्थीगण द्वारा आराजी नं. 850/637 रकबा 1.18 हेक्टर कृषि भूमि श्री अभय कुमार, कमल कुमार, कैलाश गांधी पिता स्व. बदामीलाल गांधी को विक्रय कर दी, के पश्चात् जिसका कि वर्तमान में हाल खाता सं. 12 होकर शेष आराजी नं 637 रकबा 6.87 हेक्टर है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की कृषि भूमि बंटवाडा होने के पश्चात् से ही सटी होने के कारण दोनों मौके पर अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के आधार पर वर्षों से कृषि कार्य करते चले आ रहे है परन्तु सेहवन से वर्तमान राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण के आराजी नं. 637 रकबा 6.87 हेक्टर कृषि भूमि के नक्शे को विपक्षीगण के आराजी सं. 645 रकबा 17.21 हेक्टर कृषि भूमि में सम्मिलित कर दिया जबकि मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण अपने–अपने स्वामित्व एव आधिपत्य की कृषि भूमि पर काबिज होकर मौके पर किसी विवाद की स्थिति नहीं है केवल मात्र हाल राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण की कृषि भूमि के नक्शे को सेहवन से विपक्षीगण के नक्शे में समायोजित कर दिया है। उक्त भूल राजस्व कर्मचारियों व सेटलमेन्ट कर्मचारियों की क्षणिक त्रुटी के चलते हो गया है जिसे सही किया जाना न्यायेचित होकर आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण को उक्त प्रार्थना पत्र में केवलमात्र इसलिये विपक्षीगण बनाया गया है क्योंकि विपक्षीगण के आराजी नं. 645 में प्रार्थीगण के आराजी नं. 637 के रकबे को नक्शे में समायोजित कर दिया है जो केवल मात्र सेहवन से किया है। जिससे नक्शे में रकबा अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निम्न आशय का आदेश प्रदान फरमाकर राजस्व भू–अभिलेख में प्रार्थीगण के खाते अमल दरामद के निम्न आदेश प्रदान फरमावे कि कलम संख्या एक में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी नं. 637 रकबा 6.87 हेक्टर को विपक्षीगण के आराजी नं. 645 रकबा 17.21 हेक्टर के नक्शे में मिलाया जाने से विपक्षीगण के आराजी नं. 645 में से कम कर आराजी नं. 637 के वास्तविक रकबे के अनुसार राजस्व रिकार्ड के नक्शे में तरमीम कर अंकित कराया जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री ग्रिजेश ताजावत ने वकालतनामा एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि यदि नक्शें में तरमीम किया जाता है तो विपक्षीगण पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पडने वाला है तथा यदि नक्शें में तरमीम कर रकबे अनुसार नक्शा प्रदान कर दिया जाता है तो विवाद की स्थिति सदैव के लिये समाप्त हो सकती है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रकबे अनुसार नक्शे में तरमीम किया जाता है तो विपक्षीगण संख्या 1 से 8 को कोई आपत्त्ति नहीं है। पैरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा उपस्थित जिन्होने अपनी रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण को मौके पर निर्विवादित होकर 6.87 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा बना हुआ है। सेटलमेन्ट के पूर्व के नक्शे तथा वर्तमान नक्शें से मिलान नहीं हो पा रहा है। वर्तमान नक्शें में दर्शाया गया आराजी नम्बर 637 जमाबंदी में दर्शाये रकबा 6.87 हैक्टेयर की तुलना से काफी छोटा बना हुआ है।

सहायक कलेक्टर सलु.
जिला सलूम्बर

वर्तमान नक्शें का नजरी नक्शा संलग्न रिपोर्ट में दर्शाया गया है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 645 का पुरानी आराजी नम्बर 278 / 2 तथा वर्तमान आराजी नम्बर 637 का पुरानी आराजी नम्बर 281 / 1 था।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस मे अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 637 रकबा 6.87 हैक्टेयर को विपक्षीगण के आराजी नम्बर 645 रकबा 17.21 हैक्टेयर के नक्शें में मिलाया दिया गया है। जिसकी ताईद तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से होती है मिलान क्षैत्रफल अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 645 का पुरानी आराजी नम्बर 278 / 2 तथा वर्तमान आराजी नम्बर 637 का पुरानी आराजी नम्बर 281 / 1 मी. था। साबिक नक्शे अनुसार हाल नक्शे शुद्धि कर प्रार्थीगण के हाल नक्शे मे कम हुआ रकबा विपक्षीगण के आराजी नम्बर 645 के नक्शे में से कम कर आराजी नम्बर 637 के वास्तविक रकबे के अनुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शें में तरमीम करने का आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 8 तक ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रकबे अनुसार हाल नक्शें में तरमीम की जाती है तो विपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है।

बहस मनन की जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। संवत् 2075–2078 मौजा झिझणीखुर्द पटवार हल्का जोधपुरखुर्द खाता संख्या 12 आराजी नम्बर 637 रकबा 6.87 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज अंकित है। तहसीलदार झल्लारा से प्राप्त विस्तृत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मिलान क्षैत्रफल अनुसार वर्तमान आराजी नम्बर 645 का पुरानी आराजी नम्बर 278 / 2 तथा वर्तमान आराजी नम्बर 637 का पुरानी आराजी नम्बर 281 / 1 था। उक्त साबिक एवं हाल नक्शे के मिलान करने पर आराजी नम्बर 637 रकबा 6.87 हैक्टेयर की भूमि को हाल नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार नही दर्शाया जाकर संकुचित कर आराजी नम्बर 645 के नक्शे मे मिला दिया जाना जाहिर होता है। तथा विपक्षी संख्या 1 से 8 ने भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रकबे अनुसार हाल नक्शे शुद्धि करने हेतु सहमती जाहिर की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झल्लारा को आदेश दिया जाता है कि मौजा झिझणीखुर्द पटवार हल्का जोधपुरखुर्द के हाल आराजी नम्बर 637, 645 के रकबे अनुसार हाल नक्शा शीट मे साबिक नक्शे अनुरूप शुद्धी कर पैमुद किया जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड के नक्शा शीट में अमल दरामद करावें।

निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(शान्ति लाल जैन RAS)

उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर

जिला सलूम्बर